



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(20)पंरावि/प्रशा.1/अभि.सर्वग/संस्था./एपीओ/22/ 1452 जयपुर, दिनांक :- 9/5/22

--:आदेश:-

श्री राकेश परमार, सहायक अभियन्ता (पातेय वेतन पर), पंचायत समिति चिखली जिला डूंगरपुर को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है। श्री परमार अपनी उपस्थिति अविलम्ब निदेशक, पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. सौनक बैरागी)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
9. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति चिखली जिला डूंगरपुर।
12. श्री राकेश परमार, कनिष्ठ अभियन्ता (सहायक अभियन्ता पातेय वेतन पर) को पालनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)